न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –5/2021 (अपील)

हरगोविन्द वर्ध पुत्र श्री मांगीलाल निवासी कनवास बस स्टेण्ड जिला कोटा राज0

–प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्री अरविन्द आचार्य प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद विभाग द्वितीय कोटा

–अप्रार्थी

अपील बनाराजी आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय कोटा विभागीय प्रकरण सं0 4/2018 आदेश दिनांक 16.4.2021 (कार्यवाही अन्तर्गत राज0 खा0 एवं अन्य आवष्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976)

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज0)

निर्णय

दिनांक– 20.07.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.4.2021 प्रकरण संख्या 4/2018 से अपीलांट हरगोविन्द वर्ध, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 6900, ग्राम पंचायत बास्योडी तहसील सांगोद का प्राधिकार पत्र संख्या 105/1993, निरस्त किया गया था ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2021 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी कोटा द्वितीय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को बिना किसी दस्तावेज के साक्ष्य व महज प्रावर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के पास 280.46 क्विंटल गेहूं का स्टॉक होना तथा मौके पर अपीलांट के पास मात्र 100 क्विंटल गेहूं होना मानकर 180 क्विंटल गेहूं की कमी बताई जाकर वितरण प्रणाली का दोषी करार देकर अपीलान्ट को लाईसेन्स निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । अपीलान्ट को ज्योंही उक्त त्रुटि की जानकारी हुई अपीलान्ट ने सद्भाविक रूप से अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट के विरूद्व 180 क्विंटल गेहूं की कमी बताई गई उसको तत्काल 30 क्विंटल हरमाह जमा कराने का निवेदन किया गया जिस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया इसके उपरान्त अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 14.6.2021 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलकटर कोटा के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी अपीलान्ट ने उसकी ओर बकाया निकाला

जिला कलेक्टर
कोटा

गया 180 क्विंटल गेहूं बाजार से खरीद कर बास्या हेडी किराये के गोदाम में भरवा दिये है । जिनको वह वितरण करने को तैयार है । उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया , अपीलान्ट द्वारा क्रय कर जमा किया गया 180 क्विंटल गेहूं आज भी प्रार्थी अपीलान्ट के पास उपलब्ध है । जिसको वह जमा करवाने अथवा उसका लाईसेंस बहाल होने पर जमा करवाने को तैयार है । अपीलांट बाल बच्चेदार है तथा उसके पास परिवार के भरण पोषण की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है । अपीलान्ट की यह प्रथम त्रुटि रही है वह भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने देगा । दिनांक 19.4.2021 से ही लोकडाउन लग जाने के कारण उक्त प्रकरण के संबंध में समस्त जानकारी नहीं कर पाया तथा ज्यों ही लोकडाउन में ढील मिली वह कोटा आया तथा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत कमी गेहूं जमा कराने का दिनांक 14.6.2021 को प्रस्तुत करने तथा उक्त दिनांक को अपीलान्ट को यह जानकारी होने पर कि आदेश जेर अपील करने पर निरस्त किया जा सकता है । इस पर सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 14.6.2021 से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 105/1993 पोस कोड संख्या 6900 ग्राम पंचायत बास्यांहेडी तहसील सांगोद बहाल फरमाया जावें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि उक्त अपीलान्ट के पास 280.46 क्विंटल गेहूं का स्टॉक होना तथा मौके पर अपीलांट के पास मात्र 100 क्विंटल गेहूं होना मानकर 180 क्विंटल गेहूं की कमी बताई जाकर वितरण प्रणाली का दोषी करार देकर अपीलान्ट को लाईसेन्स निरस्त करने में त्रुटि की है । अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया । अपीलान्ट को ज्योंही उक्त त्रुटि की जानकारी हुई अपीलान्ट ने सद्भाविक रूप से अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी के यहां प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलान्ट के विरूद्व 180 क्विंटल गेहूं की कमी बताई गई प्रार्थी अपीलान्ट ने उसकी ओर बकाया निकाला गया 180 क्विंटल गेहूं बाजार से खरीद कर बास्या हेडी किराये के गोदाम में भरवा दिये है । अपीलान्ट द्वारा क्रय कर जमा किया गया 180 क्विंटल गेहूं आज भी प्रार्थी अपीलान्ट के पास उपलब्ध है । जिसको वह जमा करवाने अथवा उसका लाईसेंस बहाल होने पर जमा करवाने को तैयार है ।
5. पेरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर अपीलान्ट के पास स्टॉक में 280.46 क्विं. होना अंकित था किन्तु मौके पर 280.46 क्विं. गेहूं उपलब्ध नहीं मिला । मात्र 100 क्विं0 गेहूं उपलब्ध पाया जाने पर शेष 180 क्विंटल गेहूं की वसूली हेतु पी.डी.आर. के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश हुए है तथा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है वह उचित कार्यवाही है ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 6900, ग्राम पंचायत बास्योडी तहसील सांगोद का प्राधिकार पत्र संख्या 105/1993, को इस आधार

22
जिला कलेक्टर
कोटा

पर निरस्त किया गया था कि अपीलांट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमितरूप से गेहूं का वितरण नहीं होने पर शिकायत प्राप्त होने पर दौराने जांच स्टॉक के मुकाबले 180 क्विं. गेहूं कम पाया जाने पर लाईसेंस निरस्त किया गया तथा शेष गेहूं की वसूली पी0डी0आर0एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश किये गये । अपीलांट शेष गेहूं जमा कराने को तत्पर है । अपीलांट द्वारा पुनः दुकान को सुचारूरूप से संचालन हेतु आतुर है तथा अपीलांट की आजीविका इसी उचित मूल्य की दुकान पर निर्भर होने से अपीलांट की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानूभूतिपूर्व विचार किया जा सकता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा को इस आशय के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य करने हेतु अपीलान्ट विधिकरूप से पात्र हो तथा अपीलान्ट शेष 180 क्विं. गेहूं जमा करा देवें तथा अपीलान्ट राज0 खा0 एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत कार्य करने के लिए पात्र पाया जाता है तो नियमानुसार प्राधिकारी अधिकारी की सन्तुष्टि पर प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किया जाकर अपीलांट को दुकान का आवंटन किया जावें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा